रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 540] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 30, 1971/कार्तिक 8, 1893
No. 540] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 30, 1971/KARTIKA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 30th October 1971

S.O. 5011/15/IDRA/71.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertakings known as Lokmanya Mills Barsi Ltd., Barsi Town, District Sholapur (Maharashtra), for which, having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

1. Shri I. B. Das Gupta, 168-F, Dr. Babasaheb Ambedkar Road, Bombay-14 (DD).

Member

2. Shri F.C. Dhanu, Director (Finance), National Textile Corporation Ltd., New Delhi.
3. Shri M. G. Mirchandani, Director (Technical), National Textile Corporation Ltd.
4. Shri D. P. Kelkar, Chief Executive Authority, Edward Mills, Bombay.
5. Shri R. C. Nigam, Deputy Director of Inspection, Office of the Regional Director, Company Law Board, 100, Marine Drive, Bombay-2.

Member Secretary

6. Shri M. Padmanabhan, Deputy Director, Office of the Textile Commissioner, Bombay-20.

[No. F. 9(26) Lic.Pol./71.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर 1971

का० आ० 5011/15/आई० डी० आर० ए०/71.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकमान्य मिल्स बारसी लि०, बारसी शहर, जिला शोलापुर (महाराष्ट्र) नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्र के संबंध में उत्पादन के परिणाम में भारी गिरावट हुई है जिस के लिए विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए कोई औचित्य नहीं है ।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

1. श्री आई० बी० दास गुप्ता, — अध्यक्ष
 168—एफ०, डा० बाबासाहब आम्बेडकर रोड,
 बम्बई—14 (डी डी)
2. श्री एफ० सी० धान, निदेशक (वित्त) — सदस्य
 राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड ।
3. श्री एम० जी० मीरचंदानी, निदेशक (तकनीकी), — सदस्य
 राष्ट्रीय वस्त्र निगम, लिमिटेड ।
4. श्री डी० पी० केलकर, — सदस्य
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एडवर्ड मिल्स, बम्बई ।
5. श्री आर० सी० निगम, — सदस्य
 निरीक्षण के उप निदेशक, कंपनी विधि बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशक का
 कार्यालय, 100, मैरिन ड्राइव, बम्बई-2
6. श्री एम० पद्मनाभन् उप-निदेशक, — सदस्य-सचिव
 वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, बम्बई—20.

[सं० फा० 9(26) लाई० पोलि०/71]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971